भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1705
दिनांक 03.08.2026 को उत्तर देने के लिए

प्रमुख खनिजों हेतु खनिज प्रसंस्करण, संवर्धन और पुनर्चक्रण क्षमता

1705. श्री रामराव सखाराम वाडकुटेः
डा. कविता पाटीदारः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मई, 2026 तक, महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों सहित प्रमुख खनिजों हेतु घरेलू खनिज प्रसंस्करण, संवर्धन और पुनर्चक्रण क्षमता के विकास में क्या प्रगति हुई है;
(ख) सरकार की विभिन्न पहलों के अंतर्गत स्थापित नई प्रसंस्करण इकाइयों, पुनर्चक्रण सुविधाओं तथा मूल्य संवर्धन अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या खनिज संवर्धन को इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों के साथ एकीकृत किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इन पहलों के परिणामस्वरूप आयात प्रतिस्थापन, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता के संदर्भ में प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) से (ख): राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत आरंभ की गई महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के तहत, 270 केटीपीए की लक्ष्य क्षमता की तुलना में लगभग 850 किलो टन प्रति वर्ष (केटीपीए) की प्रतिभूत क्षमता और 5,200 करोड़ रुपये से अधिक के प्रतिभूत निवेश वाली 58 पुनर्चक्रण संस्थाओं को पात्र घोषित किया गया है। 58 पुनर्चक्रण संस्थाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) से (ड़): महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के तहत आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने और महत्वपूर्ण खनिजों में आयात निर्भरता को कम करने के लिए पात्र पुनर्चक्रणकर्ताओं को विनिर्दिष्ट उच्च-शुद्धता स्तर के महत्वपूर्ण खनिजों को पुनः प्राप्त करने के लिए अधिदेशित किया गया है ताकि उन्हें डाउनस्ट्रीम उद्योगों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। इस स्कीम के माध्यम से पुनः प्राप्त महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, टिन, दुर्लभ मृदा तत्व आदि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों में विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण इनपुट सामग्री हैं।

अनुलग्नक

'प्रमुख खनिजों हेतु खनिज प्रसंस्करण, संवर्धन और पुनर्चक्रण क्षमता' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1705 के उत्तर के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या	प्रतिभूत क्षमता (केटीपीए)	प्रतिभूत निवेश (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	5	81.0	1308.7
छत्तीसगढ़	1	5.0	27.0
गोवा	1	10.5	27.5
गुजरात	6	104.0	718.3
हरियाणा	5	43.5	228.1
जम्मू-कश्मीर	1	5.0	25.1
कर्नाटक	5	31.1	404.3
मध्य प्रदेश	4	36.0	377.8
महाराष्ट्र	10	71.9	607.3
राजस्थान	2	16.0	54.6
तमिलनाडु	3	26.0	234.9
तेलंगाना	3	37.2	182.6
उत्तर प्रदेश	8	205.5	680.7
उत्तराखंड	3	180.4	330.9
पश्चिम बंगाल	1	5.0	53.5
कुल योग	58	858	5261